निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, तृतीय तल, इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक : C-147 **/बा0वि0परि0/अनु0 व मूल्यॉ0/2022–23** **दिनांक :** 12 **मई, 2022**

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/
प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय : आंगनबाडी में प्रवेश करने वाले बच्चों का जन्म प्रमाण–पत्र बनाए जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक संयुक्त सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 103/58–1–2022–2/2(7)15टीसी, दिनांक 22 अप्रैल, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा निदेशक/संयुक्त महारजिस्ट्रार(सी0आर0एस0) जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश, भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्रांक–17–2013/सी0आर0एस0, दिनांक 11 अप्रैल, 2022 की छायाप्रति इस निर्देश के साथ उपलब्ध करायी गयी है कि कृपया उक्त पत्र में की गयी अपेक्षानुसार दिनांक 01.02.2020 के पश्चात् सी0आर0एस0 पोर्टल द्वारा ऑनलाइन जारी किया गया जन्म–प्रमाण पत्र ही स्वीकार्य किया जायेगा।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति आपको इस निर्देश के साथ उपलब्ध करायी जा रही है कि उपरोक्त पत्र में की गयी अपेक्षानुसार दिनांक 01.02.2020 के पश्चात् सी0आर0एस0 पोर्टल द्वारा ऑनलाइन जारी किया गया जन्म प्रमाण–पत्र/मृत्यु प्रमाण–पत्र ही स्वीकार्य होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि विभाग से जुड़े सभी कर्मचारी भी निजी एवं शासकीय प्रयोजन हेतु सी0आर0एस0 पोर्टल से जारी जन्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्रों का ही उपयोग करेंगें।

संलग्नक–यथोक्त।

(रंजीत कुमार)
सहायक निदेशक

पृष्ठ संख्या : **/बा0वि0परि0/अनु0एवंमूल्यां0/2022–23** एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
2. संयुक्त सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त उप निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश लखनऊ को अनुपालनार्थ।

(रंजीत कुमार)
सहायक निदेशक

निदेशक कक्ष
संख्या 134 मंत्री / शासन / ...
दिनांक 25.04.2022

महत्वपूर्ण

संख्या–भा0स0–103 / 58–1–2022–2 / 2(7)15टीसी

प्रेषक,

महावीर प्रसाद गौतम,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग **लखनऊ : दिनांक** 22 **अप्रैल, 2022**

विषय–आंगनबाड़ी में प्रवेश करने वाले बच्चों का जन्म प्रमाण–पत्र बनाए जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक निदेशक / संयुक्त महारजिस्ट्रार (सी.आर.एस.), जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश, भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्रांक–17–2013 / सी0आर0एस0, दिनांक 11 अप्रैल, 2022 की छायाप्रति प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त पत्र में की गयी अपेक्षानुसार दिनांक 01 / 02 / 2020 के पश्चात् सी.आर.एस. पोर्टल द्वारा ऑनलाइन जारी किया गया जन्म–प्रमाण पत्र ही स्वीकार्य एवं लागू करने के लिए सम्बन्धित आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को आदेशित करने तथा एकीकृत बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.) से जुड़े सभी कर्मचारियों को निजी एवं शासकीय प्रयोजन हेतु सी.आर.एस. पोर्टल से जारी जन्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्रों को ही उपयोग में लाये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

57/DD(S)
9/5/22

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,
Signed by महावीर प्रसाद गौतम
Date: 22-04-2022 13:59:34
Reason: Approved
(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

AD

25.04.2022
(डॉ0 सारिका मोहन)
निदेशक

श्री मानस

(सहायक निदेशक)

143/AD
9-5-2022

DD (S)
9/5/22

30/2022

File No.17-2013(1)

2 आ. (ज- 103)/58-1-2022 25

जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश

भारत सरकार, गृह मंत्रालय

Directorate of Census Operations, Uttar Pradesh

Government of India Ministry of Home Affairs

SL-54

1228/PS/WCD

JS, ICPS

13/4/22

पत्रांक --17-2013/सी॰आर॰एस॰-

दिनांक: 11 अप्रैल, 2022

सेवा में,

प्रमुख सचिव,

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग

उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ

विषय:- आंगनबाड़ी में प्रवेश करने वाले बच्चों का जन्म प्रमाण-पत्र बनाए जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में जन्म-मृत्यु पंजीकरण का कार्य जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अंतर्गत किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव महोदय के शासनादेश संख्या 1291/पांच-7-2019, दिनांक 01/01/2020 के अनुपालन में पूरे प्रदेश में जन्म- मृत्यु पंजीकरण का कार्य दिनांक 01-02-2020 से CRS पोर्टल पर ही किया जा रहा है। अन्य किसी पोर्टल अथवा मुद्रित प्रारूप पर जारी प्रमाणपत्र अमान्य एवं अवैध समझे जाएंगे।

उत्तर प्रदेश राज्य की अधिसूचना संख्या 1925/पाँच-7-2016-रिट-201/2010 दिनांक 30/01/2017 (संलग्न) द्वारा जन्म-मृत्यु पंजीकरण कार्य हेतु ग्राम पंचायत सचिव, नगर निगमों के ज़ोनल अधिकारी, नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी, सरकारी चिकित्सालयों के प्रभारी आदि रजिस्ट्रार के रूप में नामित एवं अधिसूचित हैं तथा जन्म एवं मृत्यु का प्रमाणपत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत है। इस संबंध में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रदेश में आंगनबाड़ी से जुड़े सभी बच्चों का जन्म-पंजीकरण उनके स्थानीय रजिस्ट्रार के पास किया गया हो।

यह भी संज्ञान में लाना है कि उत्तर प्रदेश राज्य की अधिसूचना संख्या 1927/पाँच-7-2016-रिट-201/2010 दिनांक 30/01/2017(संलग्न) द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नोटिफ़ायर के रूप में नामित किया गया है। नोटिफ़ायर के रूप में नामित कार्यकर्ताओं (आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री) का दायित्व है कि वह संबन्धित रजिस्ट्रार को निर्धारित फॉर्म व नियत समयकाल में प्रत्येक जन्म-मृत्यु जिसकी उसने परिचर्या की हो या जिसमें वह उपस्थित था, और जो उस रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र में घटित हुई हो, को अधिसूचित करेगा। जन्म-मृत्यु या मृत जन्म कि घटना को उसके घटित होने की तारीख से 21 दिन के अंदर ही अधिसूचित (Notify) करने का समय निर्धारित है [नियम 3(3)]। रजिस्ट्रार को घटना की रिपोर्ट करने से पहले रिपोर्टिंग फॉर्म पर उन्हें घर के मुखिया से हस्ताक्षर लेने को कहा गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करें कि वे समस्त सम्बंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आदेशित करें कि दिनांक 01/02/2020 के पश्चात् सी.आर.एस. पोर्टल द्वारा ऑनलाइन जारी किया गया जन्म-प्रमाण पत्र ही स्वीकार्य एवं लागू करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करवा लें कि एकीकृत बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.) से जुड़े सभी कर्मचारी भी निजी एवं शासकीय प्रयोजन हेतु सी.आर.एस. पोर्टल से जारी जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्रों को ही उपयोग में लाएँ।

भवदीया,

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

Digitally Signed by Sheetal Verma
Date: 08-04-2022 13:47:13
Reason: Approved

(शीतल वर्मा, I.A.S.)

निदेशक/ संयुक्त महारजिस्ट्रार (सी.आर.एस.)

श्री रमेश कु
13/04/2022

2021

जनगणना भवन, [illegible]
Janganana Bhawan, Plot No. [illegible], Sec. C, Aliganj, Lucknow [illegible]
[illegible]
[illegible]

उत्तर प्रदेश शासन,
चिकित्सा अनुभाग--7
संख्या–1925 / पाँच--7–2016–रिट–201 / 2010
लखनऊ : दिनांक 30 जनवरी, 2017

अधिसूचना

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा–7 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विषय से सम्बन्धित विद्यमान अधिसूचना संख्या–1995(1) / 5–7–2001–वी0एस0-6 / 2000, दिनांक 05.11.2001 तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या– 252 / 5–7–2008–वी0एस0–2 / 97 टी0सी0 दिनांक 12 फरवरी, 2008 का अधिक्रमण करते हुए राज्यपाल जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के लिये नीचे अनुसूची के स्तम्भ 2 में उल्लिखित प्राधिकारियों को प्रत्येक के सामने स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के लिए जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण कार्य करने के लिये रजिस्ट्रार नियुक्त करते हैं :–

क्र. स.	प्राधिकारी	जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के लिये पदनाम	स्थानीय क्षेत्र
1	2	3	4
नगरीय क्षेत्र:			
1	नगर निगमो के उप नगर आयुक्त / जोनल अधिकारी	रजिस्ट्रार	सभी नगर निगमों स्थानीय क्षेत्र के भीतर उनके सम्बंधित जोन के अधीन आने वाले क्षेत्र / वार्ड
2	सभी नगर पालिका परिषदों / नगर पंचायतों एवं छावनी बोर्डों के अधिशासी अधिकारी / मुख्य कार्यकारी अधिकारी	रजिस्ट्रार	उनकी नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों एवं छावनी बोर्डों के भीतर के उनके सभी सम्बन्धित क्षेत्र
3	नोएडा / ग्रेटर नोएडा के प्रशासनिक अधिकारी	रजिस्ट्रार	नोएडा / ग्रेटर नोएडा के भीतर के उनके सभी सम्बन्धित क्षेत्र
4	सभी औद्योगिक नगरों (Industrial Township) के प्रभारी चिकित्साधिकारी	रजिस्ट्रार	उनके औद्योगिक नगरों (Industrial Township) [illegible] के उनके सभी सम्बन्धित क्षेत्र / वार्ड
5	ग्राम विकास अधिकारी / ग्राम पंचायत अधिकारी, लेखपाल / प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक अथवा प्रभारी (इंचार्ज) अध्यापक।	रजिस्ट्रार	प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये स्तम्भ 2 में [illegible] कोई एक पदाधिकारी (ग्राम पंचायत के अधीन [illegible] वाले समस्त राजस्व ग्रामों के लिये)–जिलारजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) / जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक रजिस्ट्रार की नियुक्ति [illegible] का स्थान [illegible] बहुउद्देशीय सरकारी भवनों [illegible] जायेगा।
राजकीय चिकित्सा संस्थान			
6	राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान / राजकीय मेडिकल कालेज एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालय / राजकीय जिला चिकित्सालय / राजकीय महिला चिकित्सालय / राजकीय संयुक्त जिला चिकित्सालय / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों आदि के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / अधीक्षक / प्रभारी चिकित्सा अधिकारी।	रजिस्ट्रार	उनके राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान [illegible] मेडिकल कालेज [illegible] राजकीय जिला [illegible] चिकित्सालय [illegible] सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों [illegible] आदि पर होने वाले सभी [illegible]

[illegible]

धारा 7 (2) से 7 (4) के अनुसार प्रत्येक रजिस्ट्रार -

1. धारा 8 या 9 के तहत बिना किसी फीस या पुरस्कार के ही रजिस्टर में सूचना का संधारण करना जो जन्म मृत्यु उसके क्षेत्राधिकार में हुई है उनका ध्यानपूर्वक पता करना और अपेक्षित विवरणों को रजिस्टर करना।
2. प्रत्येक रजिस्ट्रार का कार्यालय उस स्थानीय क्षेत्र में होगा जिसके लिये वह नियुक्त किया गया हो।
3 प्रत्येक रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए अपने कार्यालय मे ऐसे दिनों और ऐसे समय पर जिनका मुख्य रजिस्ट्रार/जिला रजिस्ट्रार निर्देश दे, उपस्थित रहेंगे और रजिस्ट्रार के कार्यालय के बाहरी द्वार पर या उसके पास के ही किसी सहजदृष्य स्थान पर एक बोर्ड लगाना, जिस पर उनके नाम तथा जिस स्थानीय क्षेत्र के लिए वह नियुक्त हो, जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रार तथा उसकी हाजिरी के दिन और घंटे स्थानीय भाषा में लिखे होंगे (प्रारूप निम्नानुसार)।

जन्म – मृत्यु रजिस्ट्रीकरण कार्यालय

पंजीकरण यूनिट का नाम (ग्राम पंचायत का नाम,नगर निगम, नगर पालिका परिशद,नगर पंचायत आदि) एवं कोड .... पंजीकरण यूनिट (ग्राम पंचायत/नगरीय) के अधीन आने वाले समस्त राजस्व ग्रामो के नाम/कोड अथवा वार्ड का नाम/कोड ....

........................रजिस्ट्रार का नाम

रजिस्ट्रार का मोबाइल नम्बर .... कार्य

दिवस .... समय

बच्चे का जन्म पंजीकृत किया जाना, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है।

रजिस्ट्रार जन्म–मृत्यु

4 अधिनियम की धारा 7 (2) के अंतर्गत स्वप्रेरणा (अपने आप से) रजिस्ट्रेशन इससे अभिप्राय रजिस्ट्रार द्वारा अपने अधिकारिता क्षेत्र में घटित जन्म और/अथवा मृत्यु की ऐसी किसी भी घटना को स्वयं रजिस्ट्रेशन करने से है, जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए नही आई है।

5 बच्चे के नाम का रजिस्ट्रेशन, यदि जन्म बिना नाम के रजिस्ट्रीकृत है (धारा 14)

6 जन्म और मृत्यु रजिस्टर में प्रविष्टि को सही या निरस्त करना (धारा 15)

7 रिकार्ड (जन्म, मृत जन्म, और मृत्यु रजिस्टर) का सुरक्षित संधारण और रिकार्ड की गई सूचना की शुद्धता व यथातथ्य को सुनिश्चित करना (धारा 16,19)

8 जन्म और मृत्यु रजिस्टर में प्रविष्टि की खोज करना (धारा 17 (1) (क) और 17 (1) (ख))
(क) जन्म और मृत्यु रजिस्टर से निर्धारित प्रविष्टियों का उद्धरण जारी करना
(ख) अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जारी करना

9 निर्धारित अधिकारी को मासिक रिपोर्ट जमा करना [धारा 19 (1)] और

10 जहाँ एम सी सी डी योजना कियान्वित हो रही है वहाँ मृत्यु के कारण का प्रमाण पत्र प्राप्त करना।

11 जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रेशन जैसे ही पूरा हो रजिस्ट्रार फॉर्म संख्या 5 (जन्म के लिये) और फॉर्म संख्या 6 (मृत्यु के लिये) जन्म और मृत्यु रजिस्टर से निर्धारित उद्धरण रजिस्ट्रेशन के लिये सूचना देने वाले को मुफ्त में देना है (धारा 12)। इस फॉर्म में जो प्रविष्टि है वे जन्म और मृत्यु रजिस्टर में निर्धारित प्रविष्टियो का ही उद्धरण है। यह उद्धरण सामान्यतः जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के नाम से भी जाना जाता है। धारा 8या 9 के तहत जिसने घटना की सूचना दी है उस व्यक्ति को उद्धरण की पहली कॉपी मुफ्त में देनी है। (धारा 12) चाहे रजिस्ट्रार उद्धरण/प्रमाण पत्र की कम्प्यूटर कृत कॉपी दे, तब भी इसके लिये कोई पैसा नहीं लेना है।

रजिस्ट्रार से रिपोर्टिंग से 30 दिन के अन्दर जन्म या मृत्यु का उद्धरण प्राप्त कर सकता है। [नियम 8 (2) से 8 (4), धारा 12]। इस नियम के तहत जन्म या मृत्यु उद्धरण प्राप्त नही किये तो ऐसी स्थिति में, रजिस्ट्रार या अधिकारी या सम्बन्धित संस्था के प्रभारी को उद्धरण सम्बन्धित परिवार को ऊपर बतायी गयी अवधि से 15 दिन के अन्दर डाक से भेज दें [नियम 8 (5), धारा 12]।

जिला मजिस्ट्रेट/जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) को सभी रजिस्ट्रारो को संलग्न प्रारूप पर नियुक्ति पत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है जो कि नियुक्ति पत्र जारी करने के उपरान्त अपने जिले के सभी रजिस्ट्रारो की रजिस्ट्रेशन इकाईवार पूर्ण विवरण की सूचना मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)/महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए उ0प्र0 लखनऊ एवं सहायक महारजिस्ट्रार (सीआरएस) जनगणना कार्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ को भेजने हेतु निर्देश प्रदान किए जाते है।

रजिस्ट्रार जब जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 अथवा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों अथवा जारी किसी आदेश के अनुसरण में कार्य कर रहे हों तो वह भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के गत लोकसेवक समझा जाएगा।(जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 26)

उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, पैरा–1 में निर्दिष्ट प्राधिकारियों को उनके म्बन्धित स्थानीय क्षेत्रों के सम्बन्ध में जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार नियुक्त करते हैं।

आज्ञा से,

अरूण कुमार सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव।

संख्या –1925(1)/पांच–7–2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– विधायिका विभाग (वेटिंग अनुभाग) सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
3– कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4– सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5– सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6– आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
7– मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)/महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश।
8– महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि अधिसूचना की प्रतियां अपने अधीनस्थ समस्त रजिस्ट्रारों को वितरित कराने का कष्ट करें।
9– निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।
10– निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11– अपर निदेशक (राष्ट्रीय कार्यक्रम), चिकित्सा तथा स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश।
12– समस्त मण्डलीय उप निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।
13– समस्त अपर निदेशक (मण्डल), चिकित्सा स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
14– सहायक निदेशक/संख्या अधिकारी (जन्म–मृत्यु आंकडा), चिकित्सा तथा स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश।
15– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
16– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
17– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिसूचना की प्रतियां अपने अधीनस्थ समस्त रजिस्ट्रारों को वितरित कराने का कष्ट करें।
18– समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
19– भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, 2/ए, मानसिंह रोड, नई दिल्ली।
20– निदेशक, जनगणना कार्य एवं संयुक्त महारजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
21– निदेशक, मुद्रण कार्यालय, इलाहाबाद को उक्त अधिसूचना को गजट में प्रकाशित कराने हेतु।
22– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव गोपाल सिंह)
अनु सचिव।

जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रारों को जारी किया जाने वाला नियुक्ति पत्र का प्रारूप

(नियुक्ति पत्र की एक अतिरिक्त प्रति मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु), उत्तर प्रदेश को एवं एक अतिरिक्त प्रति सहायक महारजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश को भी प्रेषित की जानी है)

जिला का नाम–.. जिला का कोड–..............................

सेवा में

श्री / श्रीमती / सुश्री (नाम)..

मोबाइल नम्बर..

पदनाम..

कार्यालय का पता..

विषयः–जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की प्रदत्त धाराओं के अन्तर्गत रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) के रूप में नियुक्ति के सम्बन्ध में।

जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की प्रदत्त धाराओं के अन्तर्गत एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या .... दिनांक .... (फोटोप्रति सलग्न) के द्वारा मुझे प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं आपको ग्राम पंचायत..............................

के अधीन आने वाले समस्त राजस्व ग्रामों यथाः–

1..............................

2..............................

3..............................

4..............................

के लिए रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) नियुक्त करता हूँ।

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 अथवा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों अथवा जारी किए गए किसी आदेश के अनुसरण में कार्य कर रहे हों तो वह भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अन्तर्गत लोकसेवक समझा जाएगा।(जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 26)।

जन्म–मृत्यु पंजीकरण कार्य के लिए आपके कार्यालय का पता निम्नानुसार होगाः–

जन्म–मृत्यु पंजीकरण कार्यालय का पूरा पताः–

....

....

....

स्थान.............................. हस्ताक्षरः..............................

जिला रजिस्ट्रार(जन्म–मृत्यु) / जिलाधिकारी

दिनांकः.............................. मुहरः..............................

PA-612
27/02/17

उत्तर प्रदेश शासन,
चिकित्सा अनुभाग–7
संख्या –1927 / पाँच–7–2016–रिट–201 / 2010
लखनऊ : दिनांक 30 जनवरी, 2017

अधिसूचना

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा–8 व 10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदय जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के लिये नीचे अनुसूची में दर्शायें गये विवरण अनुसार उनके स्थानीय क्षेत्र के भीतर जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रकरण कार्य के लिये **नोटिफायर / अधिसूचक** नियुक्त करते हैं :–

घटना घटित होने का स्थान	अधिसूचक (Notifier)	सूचक (Informant)
1	2	3
घर	*ए.एन.एम. / आशा / ऑगनबाडी कार्यकर्ता / सफाई कर्मचारी*	घर का मुखिया
अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप–केन्द्र स्वास्थ्य सुविधा नर्सिंग होम आदि	—	स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष / महिला) / स्टाफ नर्स / ए.एन.एम / स्वास्थ्य सुविधा व नर्सिंग होम के प्रभारी
जेल	—	जेलर / कारागार अधीक्षक
होटल, धर्मशाला, छात्रावास, सरकारी भवन / कार्यालय, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आदि।	—	प्रभारी / व्यवस्थाधिकारी
लोक स्थान	—	ग्राम प्रधान / ग्राम पंचायत सदस्य / क्षेत्र पंचायत सदस्य / सभासद / पार्षद / नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य / सफाई कर्मचारी / स्थानीय पुलिस स्टेशन का प्रभारी (चौकी इंचार्ज / थाना प्रभारी / पुलिसकर्मी / ग्राम चौकीदार आदि)
सचल वाहन कार, तांगा, रिक्शा, हवाई जहाज नाव, जहाज, रेल आदि	—	सचल वाहन का प्रभारी
बागान	—	अधीक्षक (मजदूरों का सुपरवाइजर) / बागान प्रबन्धक

अधिसूचक (Notifier) (कालम–2) वह व्यक्ति है, जो रजिस्ट्रार को निर्धारित फॉर्म व समय में प्रत्येक जन्म और मृत्यु अथवा दोनों जिसकी उसने परिचर्या की हो या उस समय उपस्थित था / थी, और जो उस रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र में घटित हुई हो, को अधिसूचित करेगा। जन्म– मृत्यु या मृत जन्म की घटना को

इसके घटित होने की तारीख से 21 दिन के अन्दर ही अधिसूचित(Notify) करने का समय निर्धारित है [नियम 3 (3)]। रजिस्ट्रार को घटना की रिपोर्ट करने से पहले रिपोर्टिंग फार्म पर उन्हें घर के मुखिया से हस्ताक्षर लेने को कहा गया है।

आज्ञा से,

अरूण कुमार सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव।

संख्या --1927 (1)/पांच--7--2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1-- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2-- विधायिका विभाग (वेटिंग अनुभाग) सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
3-- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4-- सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5-- सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6-- आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
7-- मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म--मृत्यु)/महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश।
8-- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि अधिसूचना की प्रतियां अपने अधीनस्थ समस्त रजिस्ट्रारों को वितरित कराने का कष्ट करें।
9-- निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।
10-- निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11-- अपर निदेशक (राष्ट्रीय कार्यक्रम), चिकित्सा तथा स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश।
12-- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।
13-- समस्त अपर निदेशक (मण्डल), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
14-- सहायक निदेशक/संख्या अधिकारी (जन्म--मृत्यु आंकड़ा), चिकित्सा तथा स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश।
15-- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
16-- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
17-- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिसूचना की प्रतियां अपने अधीनस्थ समस्त रजिस्ट्रारों को वितरित कराने का कष्ट करें।
18-- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
19-- भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, 2/ए, मानसिंह रोड, नई दिल्ली।
20-- निदेशक, जनगणना कार्य एवं संयुक्त महारजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
21-- निदेशक, मुद्रण कार्यालय, इलाहाबाद को उक्त अधिसूचना को गजट में प्रकाशित कराने हेतु।
22-- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव गोपाल सिंह)
अनु सचिव।